ई–मेल

पत्रांक 3923 / एस.सी.डी.आर.सी.यू.पी. / अधि.90 / 07 पार्ट–3

प्रेषक,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमती नगर,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 10 नवम्बर, 2015

विषयः– जिला फोरमों के अध्यक्ष–सदस्य एवं राज्य आयोग के सदस्यगण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 32 / 2015 / सीपी 221 / 84–2–2015–सीपी 29 / 96, दिनांक 06.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला फोरम के सदस्यगण एवं राज्य आयोग के सदस्यगण के मानदेय तथा आवास भत्ता में वृद्धि की गयी है तथा अध्यक्ष जिला फोरम के आवास भत्ते में भी वृद्धि की गयी है। शासनादेश संख्या 34 / 2015 / 368 / 84–2–2015–सीपी 29 / 96, दिनांक 06.11.2015 के द्वारा राज्य आयोग के सदस्यगण के वाहन भत्ते में भी वृद्धि की गयी है तथा इसी प्रकार शासनादेश संख्या 33 / 2015 / 368 / 84–2–2015–सीपी 29 / 96, दिनांक 06.11.2015 के द्वारा जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यगण वाहन भत्ते में भी वृद्धि की गयी है, जिसकी छायाप्रति भी आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उक्त अधिसूचना एवं शासनादेशों की प्रतियां आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अध्यक्ष जिला फोरम से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिसूचना एवं शासनादेशों की प्रति सभी सदस्यगण एवं कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(मो॰ रईस सिद्दीकी)
निबन्धक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा॰ सदस्यगण, राज्य आयोग को उक्त अधिसूचना एवं शासनादेशों की प्रति संलग्न।
2. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को उक्त अधिसूचना एवं शासनादेशों की प्रति संलग्न।

(मो॰ रईस सिद्दीकी)
निबन्धक

उत्तर प्रदेश सरकार

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 32/2015/सीपी 221/84-2-2015-सीपी 29/96

लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68, सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
विद्यमान उपनियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम	
(1)(क)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो प्रतिदिन 400/- रूपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 10176/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 300/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।	(1)(क)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा। कोई सदस्य यदि वह पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 13950/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा ।
(ख)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 2400/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।	(ख)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो, तो प्रतिमास 3290/- रूपये मकान

			किराया भत्ता प्राप्त करेगा।
(ग)	जिला फोरम का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 1800/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।	(ग)	जिला फोरम का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 2470/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।

नियम 6 का संशोधन 3- उक्त नियमावली में, नियम 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खंड (क) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात :-

स्तम्भ-1			स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खंड
(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 500/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 15262/- रूपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 400/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगें।	(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा। कोई/ सदस्य यदि वह पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 20910/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा।
(ग)	राज्य आयोग का सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाय तो वह प्रतिमास 3000/- रूपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे।	(ग)	राज्य आयोग का सदस्य किराया मुक्त आवास का हकदार होगा। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाय तो वह प्रतिमास 4110/- रूपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 32/2015/सीपी 221(1)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड - ख में दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को प्रकाशित करने का कष्ट करें और इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित 1500 (एक हजार पांच सौ) प्रतियां अनुभाग अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय, कक्ष संख्या-95, नवीन भवन, लखनऊ को अविलम्ब उपलप्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बी0के0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 32/2015/सीपी 221(2)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(11) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-33/2015/सीपी 651/84-2-2015-सीपी 29/96

प्रेषक,

वी0के0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2015

विषय जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को वाहन भत्ता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- सीपी 503/84-2-2010-सीपी 29/96, दिनांक 07 जनवरी, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को फोरम कार्यालय आने-जाने एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू0 1830/- (रूपया एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि रू0 1830/- (रूपया एक हजार आठ सौ तीस मात्र) प्रतिमाह के स्थान पर रू0 2510/- (रूपया दो हजार पांच सौ दस मात्र) प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-सात-970/दस-2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0के0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-33/2015/सीपी 651(1)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

.....2.....

(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(10) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-34/2015/368/84-2-2015-सीपी 29/96

प्रेषक,

वी0के0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 नवम्बर, 2015

विषय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, के सदस्यगण को वाहन भत्ता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- सीपी 502/84-2-2010-सीपी 29/96, दिनांक 07 जनवरी, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, के सदस्यगण को आयोग कार्यालय आने-जाने एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू0 2630/- (रूपया दो हजार छ सौ तीस मात्र) प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि रू0 2630/- (रूपया दो हजार छ सौ तीस मात्र) प्रतिमाह के स्थान पर रू0 3650/- (रूपया तीन हजार छ सौ पचास मात्र) प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-सात-970/दस-2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0के0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-34/2015/सीपी 368(1)/84-2-2015-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

.....2.....

(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(10) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।